पत्रांक–492/तक0

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

प्रेषक,

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

नगर निवेशक,
राँची नगर निगम,
राँची।

राँची, दिनांक–19वीं दिसम्बर 2017

बिषय :– श्री जनार्दन प्रसाद राय, झारखण्ड स्वामी सहजानन्द सरस्वती समिति (विवेकानन्द स्कूल) के खाता सं0–अप्राप्त, वार्ड नं0–42, प्लाट नं0–1530P, 1617P, 1618P, 1619P, 1620, 1534P, 1536P, 1621P, 1637P, 1638P, 1475P, 1649P, 1625P, 1623P & 1476P पर प्रस्तावित विद्यालय भवन निर्माण हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रस्तावित स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची से कराई गई। अपने ज्ञापांक–597, दिनांक–17.12.2017 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उक्त विद्यालय भवन हेतु निम्नांकित अग्नि सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते है:–

1. वास्तुविद के द्वारा ब्लॉक ए0 एवं बी0 के स्टेरकेश में दिये गये संकेत चिह्नों के अनुरूप अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था कराई जाय। सही अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था ब्लॉक सी0 के लिये भी कराया जाय। Client's Scope
2. प्रस्तावित विद्यालय भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 ली0 क्षमता का एक अदद अण्डरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय। Client's Scope
3. प्रस्तावित विद्यालय भवन के तीनों ब्लॉकों के उपर 15-15,000 (पंद्रह–पंद्रह हजार लीटर) क्षमता वाले एक–एक अदद ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु कराया जाय।
4. प्रस्तावित विद्यालय भवन के लिए 1650 ली0/मि0 क्षमता का एक शक्तिशाली पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जो पूरे सिस्टम में जलापूर्ति करने में सक्षम हो।
5. प्रस्तावित विद्यालय भवन के लिए समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित पम्प की व्यवस्था रखी जाय। Pump connection with D.G.
6. प्रस्तावित विद्यालय भवन के उपर 450 ली0/मि0 क्षमता का एक अदद टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
7. प्रस्तावित विद्यालय भवन के फायर स्केप रूट वाली सीढ़ीयों को Enclose Staircase के रूप में निर्मित किये जॉय। Client's Scope
8. विद्युत मेन कंट्रोल पैनल को Fire Suppression System से सुरक्षित किया जाय।
9. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जाँय। Client's scope
10. भवन में प्रति 400 वर्ग फीट अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।